



3.6.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित।
P.O. ला. गाराणा कार्य में लाया जा रहा है।
पत्रावली वास्तु जायद दावा दि. 28/6/24 को
पेश होवे।


(Reader)

not present

28/6/24

26.06.2024

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान
उपस्थित। वकील वादी पत्रावली में
लगाया गया की अब तक की कार्यवाही
से संतुष्ट है। एवं आगे कोई कार्यवाही
नहीं चाहते हैं। वकील वादी ने प्रमूख
नोट - प्रेश करने का निवेदन किया।
वकील वादी द्वारा नोट - प्रेश करने
के आधार पर पत्रावली खारिज की
जाती है। पत्रावली फॉर्मल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर होवे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा